राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :प.6( )नविवि/3/07 जयपुर, दिनांक 30/7/2015

आयुक्त,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः-- जयपुर विकास प्राधिकरण रीजन मे सेक्टर रोड़े विकसित किये जाने हेतु अवाप्त की गयी एवं उपयोग में ली गयी भूमि/भूखण्ड के एवज में भूमि दिये जाने बाबत।

संदर्भः-- आपका पत्रांक जेडीए/डीसी-8/आई.डी–1107450/2015/डी–315 दिनांक 05.02.15 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के प्रस्तावानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण रीजन मे सेक्टर रोड विकसित किये जाने हेतु अवाप्त की गयी भूमि/भूखण्डों के एवज में भूमि/भूखण्ड दिये के बिन्दुवार प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार के सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार बिन्दुवार प्रस्ताव पर अनुमोदन निम्नानुसार प्रदान किया गया, तदनुसार कार्यवाही सम्पादित करावे।

क्र. सं.	जयपुर विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव	राज्य सरकार का अनुमोदन
1.	Wherever residential land (land for which JDA patta including Pattas issued by JDA in private/cooperative scheme etc or Abadi patta is available). equal area of mix use land be given.	यदि आवासीय योजना में से सेक्टर रोड निकाली जाती है तो सेक्टर रोड़ हेतु जिस आशय की भूमि उपयोग में ली जाती है। उसी आशय की बराबर क्षेत्रफल समतुल्य व सममूल्य की भूमि/भूखण्ड प्रार्थिगणों को दिये जावे।
2.	Wherever 90A 90B has been done & JDA pattas have been issued to some plot holders of the scheme, but affected person has not taken JDA Patta: 75 % of plot area be given as mix use land.	जिन योजना में 90ए या 90बी की कार्यवाही की जा चुकी है व योजना में पट्टे जारी किये जा चुके है एवं मोके पर योजना में 10 प्रतिशत बसावट हो चुकी है एवं योजना में जिन प्रभावित भूखण्डधारियों को पट्टे जारी नही किये गये है। यदि ऐसी आवासीय योजना में से सेक्टर रोड़ निकाली जाती है तो सेक्टर रोड़ हेतु जिस आशय की भूमि उपयोग में ली जाती है। उसी आशय की उपयोग मे ली गयी भूमि के बराबर क्षेत्रफल की समतुल्य व सममूल्य की भूमि/भूखण्ड प्रार्थिगणों को दिये जावे।
3	Wherever 90A 90B has been done & plots have been cut but JDA patta has not been issued to any plot holder in the scheme. 50% of mix land use be given.	जिन योजनाओं में 90ए या 90बी की कार्यवाही की जा चुकी है किन्तु पट्टे जारी नही किये गये है और मौके पर योजना में बसावट नही होने के स्थिति में यदि सेक्टर रोड़ हेतु भूमि काम में ली जाती है तो उन भूखण्डधारियों की जिस आशय की भूमि काम में ली गयी है उसी आशय की समतुल्य व सममूल्य की शत-प्रतिशत भूमि/भूखण्ड प्रार्थिगणों को दी जावे।
4	Wherever 90A 90B has not been done but affected person has allotment letters issued by Society etc.. 30% of the land taken be given as mix use land.	बिन्दु संख्या 4 के प्रस्ताव के क्रम में मिश्रित भूखण्ड के स्थान पर अवाप्त भूमि भूखण्ड का जो उपयोग प्रस्तावित था उस भूमि/भूखण्ड के एवज में प्रार्थिगणों को उसी आशय की शत-प्रतिशत भूमि/भूखण्ड दिया जावे ना कि मिश्रित उपयोग की भूमि/भूखण्ड।
5	Wherever commercial land is taken. Equivalent for commercial land be given.	वाणिज्यिक भूमि ली जाती है तो उसके बदले में समतुल्य वाणिज्यिक भूमि दी जावे बशर्ते कि वह वाणिज्यिक रूपान्तरित हो।
6.	In all the cases. compensation for structures on site be also given as per standard system of valuation.	स्टेक्चर्स बाबत मूल्यांकन के स्टेण्डर्स सिस्टम के मुताबिक मुआवजा दिया जावे।

नोट– यदि सेक्टर रोड विकसित किये जाने हेतु यदि कृषि भूमि अवाप्ति की जाती है या उपयोग में ली जाती है उसके परिपेक्ष में कृषि भूमि के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 22.12.14 के अनुसार जिन प्रार्थियों की भूमि काम में ली गयी है, उसके एवज में उन्हें 25 प्रतिशत विकसित भूमि (20 प्रतिशत आवासीय + 5 प्रतिशत वाणिज्यिक) दी जावे।

भवदीय,
30/7/15
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

कृपया Website पर अपलोड करवायें
30/7/15